

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/ 1832

दिनांक: 29.05.2023

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं का चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

इस वर्ष जनपद स्तर पर आवंटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी। शहरी आशा कार्यक्रम को सुचारु एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों विशेषतयः महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी-

- गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूर्ण आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जैसे - नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।
- सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे- ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, क्लोरोक्विन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।
- आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठक आयोजित कराना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।

- अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।
- पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- सामान्य रोगों, यथा-दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्यकतानुसार संदर्भित करना।
- अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम परिवारों पर विशेष ध्यान देना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्यों का संपादन करना।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को अद्युनांत करना।
- प्रशिक्षण पश्चात (6-7 मॉड्यूल प्रथम चरण के पश्चात) गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।

2. शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों का ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करती है। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलती है एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

FMR Code HSS(U).2.130.ASHA.1 (Routine and Recurring Incentive to ASHA - भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में **FMR Code HSS(U).2.130.ASHA.1** में ₹0 2000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है-

एफ.एम.आर. कोड	क्र. सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (₹0 में)
FMR Code HSS(U).2.130.ASHA.1 (Routine and Recurring Incentive to ASHA	1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
	2	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर	150
	3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय।	150
	4	वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	300
	5	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	300
	6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300

एफ.एम.आर. कोड	क्र. सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रु० में)
	7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	8	योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			2000

*उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल रु० 1850/- प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी।

- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर— शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रु० 200/- प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर — शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र में गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। महिला आरोग्य समिति के सम्बंध में पत्र संख्या SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/4983 दिनांक 11-10-2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रु० 150/- दिया जायेगा।
- शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु— शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रु० 150/- प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना — उक्त मद के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह सर्वे अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को रु० 300/- प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा द्वारा प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर— शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु आशा को रु० 300/- प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।
- टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार की जानी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रु० 300/- प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय-समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनाते समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचें करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करेगी जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु

दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/- प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।

- **योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पतियों के विवरण से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पतियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 300/- प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

- नोट-** शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर की समस्त सूचनाओं को ई कवच पोर्टल पर अंकित/अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण- यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया है तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 200/- का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त एन.यू.एच.एम. अनुभाग द्वारा आशाओं को निम्न मदों की भी प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है-

क्र० सं०	एफ०एम०आर० कोड	गतिविधियां	प्रतिपूर्ति राशि रू० (प्रति आशा/माह)
1	HSS(U).1.127.ASHA.1	Asha Incentive for Additional range of Services under CPHC	1000/-
2	HSS(U).1.127.ASHA.2	Incentive to Asha for CBAC	10/-
3	HSS(U).1.127.OOC.3	Mobile Recharge	200/-
4	HSS(U).2.130.ASHA.2	Health Promotion Day	200/-
5	HSS(U).2.130.ASHA.3	PMMVY	100/-

- **HSS(U).1.127.ASHA.1 Asha Incentive for Additional range of Services under CPHC** - इस हेतु पत्र सं० SPMU/NUHM/Guidline/2021-22/47/6464 दिनांक 10-01-2022 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।
- **HSS(U).1.127.ASHA.2 Incentive to ASHA for C BAC-** इस हेतु पत्र सं० SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14-10-2022 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- **HSS(U).1.127.OOC.3 (Mobile Recharge)-** इस हेतु पत्र सं० SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14-01-2022 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- **HSS(U).2.130.ASHA.2 (Health Promotion Day incentive to ASHA) हेल्थ प्रमोशन डे-** हेल्थ प्रमोशन दिवस आयोजन हेतु पत्रांक संख्या प०क०-13 /सं०नि०न० /श०आ०-दिशा-निर्देश /52 /2020-21 /931-75 दिनांक 26 जून 2020 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- **HSS(U).2.130.ASHA.3 (PMMVY Incentive to ASHAs)प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-**
 - आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50 दिये जाने का प्रावधान है।

➤ आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर ए0एन0एम0 के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किश्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50 दिये जाने का प्रावधान है।

- आशा द्वारा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्रावधान किया गया है। जिसमें मुख्यतः निम्नानुसार है-

क्र0सं 0	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये में)
1	मातृ स्वास्थ्य	पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर RCH नम्बर अंकन) के पश्चात सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर।	400
2		पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर RCH नम्बर अंकन) के बिना सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर।	200
3		छाया UHSND सत्र पर अति जोखिम गर्भवती महिला का जॉच एवं संस्थागत प्रसव कराने के साथ UHIR में अंकन और RCH पोर्टल पर Entry कराने पर (प्रति केस)	300
4		चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला की आशा द्वारा चिकित्सा इकाई पर 3 अतिरिक्त विजिट परीक्षण हेतु करने पर प्रति विजिट. PMSMA	100
5		चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोपरान्त 45 दिनों तक माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल ए.एन.एम. या चिकित्सक द्वारा सत्यापन उपरान्त आशा को प्रति प्रसूता. PMSMA	500
6	परिवार कल्याण	सास बेटा बहू सम्मेलन	100
7		महिला नसबन्दी interval – Public sector +COT	300
8		पुरुष नसबन्दी	400
9		प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी PPS – Public sector	400
10		दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000
11		शादी के पश्चात् 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
12		प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
13		लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें/सहयोग करने पर	150
14		लाभार्थी को शगुन किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट	100
15		लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इनजैशन (अन्तरा) लगवाने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100	100
16		client को PAIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें/सहयोग करने पर	150
17		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित कराने पर (प्रति केस)	150

18		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)	225	
19	बाल स्वास्थ्य	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	150	
20		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूरा करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	100	
21		SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करने पर (प्रति बच्चा)	50	
22		SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 4 फॉलोअप करने पर (रु. 25 प्रति फॉलोअप)	100	
23		AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L.बॉटल, auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह	50	
24		नवजात शिशु के प्रत्येक गृह भ्रमण HBYC (3, 6, 9, 12, 15) माह पूर्ण होने पर प्रति शिशु हेतु	50	
25		गर्भवती एवं धात्री माताओं की मासिक बैठक (माह में 3 बैठक) करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)	100	
26		पाँच साल से कम उम्र के बच्चों वाले परिवार को IDCF के लिए प्रेरित करना	100	
27		टीकाकरण	0-1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	100
28			1-2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	75
29	5-6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बूस्टर-2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा		50	
30	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र)		150	
31	पल्स पोलियो कार्यक्रम में मोबिलाईज करने हेतु (प्रतिदिन) (100-150 बच्चों को मोबिलाईज करने पर रु0 100/- प्रतिदिन)		75	
32	आर.के.एस. के.	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (AHWD) हेतु (प्रति दिवस) मात्र 25 HPD जनपदों में लागू	200	
33		एन0डी0डी0 अभियान में 1-19 साल तक के बच्चों को मोबिलाईज करने पर प्रति अभियान	100	
34		पीयर एजुकेंटर के चयन हेतु रु0 100/- प्रति पीयर एजुकेंटर	100	
35	राष्ट्रीय कार्यक्रम	ट्रीटमेंट सर्पोटर (डाट्स प्रोवाइडर) (नये रोगी 6-7 माह का कोर्स)	1000	
36		रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि(9 से 11 माह का कोर्स)	5000	
37		किसी भी संदिग्ध क्षय रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रथम संदर्भन के उपरान्त यदि क्षय रोग से ग्रसित पाया जाता है प्रति केस	500	
38		रक्त पट्टिका बनाना (प्रति स्लाइड)	15	
39		पी0एफ0 पॉजिटिव या पी0वी0 पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार कराने पर (प्रति केस)	75	
40		कुष्ठ रोग की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस)	250	
41		पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस)	400	
42		कुष्ठ रोग की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस)	250	
43		पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस)	600	

44	कुष्ठ रोगी के साथ deformity के नये रोगी की पहचान (प्रति केस)	200
45	आशा द्वारा कुष्ठ रोगी के सक्रिय मामलो की पहचान एवं नियमित निगरानी ACDRS or LCDC प्रति round	1000
46	MDA / IDA round मे दवा खिलाने रू0 100 एवं E-kavach पोर्टल पर feeding किये जाने पर रू0 25 प्रति दिन	125
47	ए0इ0एस0/जे0ई0केस का नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस दी जायेगी। मात्र 20 जनपदों	300
48	कालाजार हेतु (IRS) 2 राउन्ड में छिड़काव (प्रति राउन्ड रू0 100) 13 जनपदों	200
49	कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जानें के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना ;प्रति केस) मात्र 13 जनपदों	500
50	कैप के दौरान कालाजार/PKDL के संदिग्ध मरीजों को सूचित करने व धनात्मक पाये जाने पर प्रति केस	500
51	घर-घर भ्रमण कर मच्छरों की घरेलू प्रजनन जाँच एवं लार्वा स्रोत कटौती में मदद करने हेतु रू0 200/- प्रति माह (कुल 5 माह हेतु)	200
52	डेंगू एवं चिकुनगुनिया के मरीजों को नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस रू0 200/-प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। (कुल 5 माह हेतु)	200
53	50 घरों के नमक परीक्षण हेतु (मात्र 24 जनपदों)	25

उपरोक्त प्रतिपूर्ति राशियों के भुगतान से पूर्व संबंधित अनुभाग द्वारा प्रेषित विस्तृत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश

- ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे0एस0वाई0, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि जनपद स्तर से भुगतान की जानी है। इसके लिए सी0सीपी0एम0 एम0आई0एस0 मे आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। नवीन व्यवस्था के दिशा निर्देश जारी होने तक इस सम्बन्ध में पूर्व मे पत्र संख्या SPMU/NUHM/MIS/18/ 2142-75 दिनांक 28-07-2021 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देश के अनुसार शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है।
- जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जायेगा।
- शहरी आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचनापट्ट पर चस्पा करवा दी जाये।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं के क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।

- किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, डी0सी0ए0ए0, सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के एजेण्डा में नियमित रूप से सम्मिलित किया जाये।
 - यदि किसी शहरी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/DCAA/ सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
 - शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
 - आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।
4. **शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश-**
 प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे- दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी जानी है।
 भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

- शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

क्र.स.	दवा/सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट	20
5	जिक टैबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10
7	निश्चय किट	3
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश- आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग-अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

- आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी- पूर्व में स्वीकृत शहरी आशाओं के ड्रग किट हेतु कोई भी धनराशि अलग से नहीं उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेगी।

- शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशायें अपनी शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.स.	दवा / सामग्री	शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा ... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी.के. किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट					
5	जिंक टेबलेट					
6	ओ.आर.एस. के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कण्डोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर					

- ए.एन.एम., प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।
- रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष

बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।

5. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

- **आयोजन स्थल**— शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील शौचालय आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दूरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- **शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग**— मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समस्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो। बैठक इस प्रकार प्लान की जाय कि प्रत्येक बैठक में अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0 /सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट उपस्थित रहे। शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रु0 150/-) देय नहीं होगी।
- **बैठक का एजेण्डा**— प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु को सम्मिलित किया जाय।

क्र.सं.	विषय-वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण
3	अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा
4	सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे-विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्द्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा।
5	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
6	शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना
7	आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष

क्र.सं.	विषय-वस्तु
	आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा—

बैठक की तिथि.....

स्थान.....

क्र.सं.	शहरी आशा का नाम	कार्यक्षेत्र	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

6- HSS(U).2.130.IEC.1 (ASHA Uniform) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शहरी आशा यूनिफार्म हेतु ₹0 1000/- 2 सेट यूनिफार्म प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम ₹0 1000/- का भुगतान PFMS/FAMS के माध्यम से आशा के खाते में किया जायेगा।

- आशाओं को यूनिफार्म के रूप में दो साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार-कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार-कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।
- आशाओ द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से CCPM/ DEO cum Accountant/DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।
- आशाओं की यूनिफार्म हेतु धनराशि लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7 HSS(U).2.130.OOC (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)- आशा अवार्ड

जनपदों में प्रति वर्ष आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। आशा सम्मेलन के माध्यम से आशाओं को इस बात का भी एहसास होता है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों व जरूरत मंद लोगों तक पहुंचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशा सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ आशाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ आशाओं को सम्मानित करने तथा बेहतर प्रयास करने हेतु, शहरी आशाओं के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एफ0एम0आर0 कोड संख्या HSS(U).2.130.OOC (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA) के अंतर्गत पुरस्कार राशि

का प्रावधान किया गया है। यह पुरुस्कार राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली शहरी आशाओं को आशा सम्मेलन में प्रदान की जानी है। प्रावधानित धनराशि निम्न विवरणानुसार है-

- I. जनपद जहां स्वीकृत शहरी आशा की संख्या 50 से कम है- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एक आशा हेतु रु 1000/- की धनराशि।
- II. जनपद शहरी आशा की संख्या 50-99 है- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम व द्वितीय आशा हेतु क्रमशः रु 2000/- व रु 1000/- की धनराशि।
- III. जनपद स्वीकृत शहरी आशा की संख्या 100-150 है- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय व तृतीय आशा हेतु क्रमशः रु 5000/-, रु 2000/- व रु 1000/- की धनराशि।
- IV. जनपद जहां स्वीकृत शहरी आशा की संख्या 150 से अधिक है- कम से कम 150 आशा के प्रत्येक क्लस्टर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय व तृतीय आशा हेतु क्रमशः रु 5000/-, रु 2000/- व रु 1000/- की धनराशि। ऐसे जनपद जहां शहरी आशा की संख्या 150 से अधिक है, वहां पुरुस्कार हेतु आशा चयन करने के लिए आशाओं के क्लस्टर का गठन निम्नानुसार किया जायेगा-

क्र०स०	स्लम क्षेत्र हेतु पूर्व स्वीकृत शहरी आशा की संख्या	पुरस्कार हेतु आशाओं के क्लस्टर की सं० (कम से कम 150 आशा प्रति क्लस्टर)	पुरुस्कृत की जाने वाली आशा की संख्या		
			प्रथम पुरुस्कार (रु 5000)	द्वितीय पुरुस्कार (रु 2000)	तृतीय पुरुस्कार (रु 1000)
1	151-299	1	1	1	1
2	300-449	2	2	2	2
3	450-599	3	3	3	3
4	600-749	4	4	4	4

पुरस्कार हेतु आशा का चयन के मानक

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर से सर्वश्रेष्ठ आशाओं को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित जनपद/क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आशाओं की सूची जनपद/क्लस्टर के समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

पुरस्कार हेतु आशाओं का चयन नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम०, अर्बन हेल्थ क्वार्टिनेटर तथा डी०सी०ए०ए०/सी०सीपी०एम० की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा।
सर्वश्रेष्ठ कार्य के मानक-

क्र० सं०	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रु० 400/- प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	
3	आशा के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक(नसबंदी) तथा अन्तराल विधियों -Antara, PPIUCD हेतु प्रेरित करने पर। पुरुष नसबंदी कराने पर 5 प्रतिशत बोनस अंक।	
4	महिला आरोग्य समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या जिसमें उसे प्रति मास रु० 150/- प्राप्त हुआ हो।	
5	उपर्युक्त मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना

क- आशा द्वारा कराये गये संस्थागत प्रसव

ख- आशा के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)= जन्म दर *जनसंख्या/1000

संस्थागत प्रसव प्रतिशत= क*100/ख

2. आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे

क. कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या

ख. कुल 0-1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या

पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत= क*100/ख

3. स्थायी गर्भ निरोधक साधनों तथा अन्तराल विधियों के उपयोग हेतु प्रेरणा-

आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में स्थायी गर्भ निरोधक साधन- महिला/पुरुष नसबंदी तथा अन्तराल विधियों - Antara, PPIUCD हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या*100/30।

यदि आशा द्वारा एक भी पुरुष नसबंदी करायी गई है तो 5 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जायेंगे।

4. महिला आरोग्य समिति की नियमित बैठक कराना- महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठक की संख्या* 100 / 12

उदाहरण- आशा राधा देवी, जनपद- पीलीभीत के पुराना अस्पताल नगरीय प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत है। उनके कार्यक्षेत्र की आबादी 2000 है। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। राधा देवी द्वारा वर्ष 2021-22 में 35 संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहन राशि 400 प्रति प्रसव प्राप्त की गई है। वर्ष 2021-22 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 37 है। राधा देवी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 पुरुष व 3 महिलाओं को नसबंदी, 4 महिलाओं को PPIUCD, तथा 5 महिलाओं को अंतराल इंजेक्शन हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राधा देवी के कार्यक्षेत्र, मोहल्ला डालचंद, में गठित महिला आरोग्य समिति की 9 मासिक बैठक हुई है। राधा देवी के औसत प्रतिशत की गणना निम्न अनुसार की जायेगी-

1. कुल सम्भावित प्रसव- $30 \times 2000 / 1000 = 60$

संस्थागत प्रसव-35

प्रतिशत= $(35 \times 100) / 60 = 58.33\%$

2. मोहल्ला डालचंद में कुल 0-1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या- $30 \times 2000 / 1000 = 60$

पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=37

पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत- $37 \times 100 / 60 = 61.66\%$

3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत- $(1345) \times 100 / 30 = 43.33\%$

पुरुष नसबंदी कराने हेतु 5 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर परिवार नियोजन प्रतिशत.

$43.335 = 48.33\%$

4. महिला आरोग्य समिति की बैठक आयोजन का प्रतिशत- $9 \times 100 / 12 = 75\%$

5. औसत प्रतिशत- $(58.33 + 61.66 + 48.33 + 75) / 4 = 60.83\%$

पुरस्कार हेतु न्यूनतम अहर्ता 50 प्रतिशत औसत अंक होगी। अर्थात् यदि किसी जनपद/क्लस्टर में कोई भी शहरी आशा 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त नहीं कर पाती है तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।

पुरस्कार चयन कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक आशा क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ आशाओं का चयन कर विवरण सहित (संलग्नक ख) अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। जिसके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में क्लस्टरवार सर्वश्रेष्ठ आशा के चयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। शहरी आशाओं को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाय

जनपद स्तर पर आयोजित आशा सम्मेलन में शहरी आशाओं को आमंत्रित किया जाये एवं उन्हें सम्मेलन के दौरान पुरस्कार वितरित किये जायें। प्रत्येक क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ आशाओं को प्रमाण-पत्र

एवं पुरुस्कार राशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा वितरित की जायेगी। । शहरी आशाओं को सम्मेलन स्थल तक आने जाने के लिए परिवहन भत्ता तथा जलपान/भोजन व्यवस्था हेतु अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। परिवहन तथा जलपान/भोजन व्यवस्था का व्यय जनपद को आशा सम्मेलन हेतु आवंटित धनराशि से किया जायेगा। आशा सम्मेलन के संबंध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्रांक -प0क0/08-प्रशि0/आ0यो0/दिशा-निर्देश /2020-21/7433-75 दिनांक 10.6.2020 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये है।

8. **आशा डाटाबेस**— शहरी आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आबादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं0, आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, प्रशिक्षण की स्थिति, आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/सी.सी.पी.एम. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा।
9. **HSS(U).2.130.IEC.2 (UHIR and Voucher)**-- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका एवं आशा वाउचर उपलब्ध कराया जाना है।
- **शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (UHIR)**— शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु FMR Code **HSS(U).2.130.IEC.2** के अन्तर्गत रू0 300/- प्रति आशा की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर के मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है—

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी.x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ-2 स्टेप्लड	28 से.मी.x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	326 पेज

शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु दिशा निर्देश पत्रांक SPMU/NUHM/IEC/2020-21/24/6709 दिनांक 29-01-2021 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

- **आशा प्रतिपूर्ति राशि के लिए आशा वाउचर हेतु दिशा-निर्देश** — आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर उपलब्ध कराने एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं—
 - आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी हैं।
 - प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियाँ (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात् 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2023-24 के **HSS(U).2.130.IEC.2** के अन्तर्गत इस हेतु अधिकतम रू0 25/- प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे—

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	एन0यू0एच0एम0 पलैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

- बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियाँ 2 रंगों में छपवाई जाय। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लाये जायें।
- आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु जनपद स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है।

10. अनुश्रवण एव मूल्यांकन


- जिला स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

- राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

 (अपूर्णा उपाध्याय)
 मिशन निदेशक

पत्रांक SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/

तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 सलिल श्रीवास्तव)
 महाप्रबंधक, एन0यू0एच0एम0

- राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/ 1832-10 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।


(डा0 सलिल श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0